संख्या–09–चार–एम/XXXVI(1)/07–193जी/01

प्रेषक,

आर0 डी0 पालीवाल,
सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
उधमसिंह नगर ।

न्याय अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 06 नवम्बर, 2007

विषय–श्री रमेश चन्द्र जोशी एवं श्री उपदेश कुमार विश्नोई, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दीवानी), जिला उधमसिंह नगर का कार्यकाल बढ़ाया जाना ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 821/29–रा0सहा0/2007 दिनांक 12 जून, 2007 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2. इस सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री रमेश चन्द्र जोशी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दीवानी), खटीमा एवं श्री उपदेश कुमार विश्नोई, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दीवानी),काशीपुर, जिला उधमसिंह नगर का कार्यकाल दिनांक 1.8.2007 से अग्रेत्तर 05 वर्ष की अवधि अर्थात 31.7.2012 तक रखे जाने की महामहिम राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

3. उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन की जाती है कि राज्य सरकार किसी भी समय बिना कोई कारण बताये एवं बिना किसी पूर्व सूचना के सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दीवानी), के पद पर उनकी आबद्धता समाप्त कर सकती है तथा श्री जोशी व श्री विश्नोई, इस आशय का सहमति प्रमाण–पत्र भी जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेगें कि उन्हें इस शर्त में कोई आपत्ति नहीं है ।

4. कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(आर0 डी0 पालीवाल)
सचिव,

संख्या–09–चार–एम/XXXVI(1)/07–193जी/01 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– जिला न्यायाधीश, उधमसिंह नगर ।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, उधमसिंह नगर ।
3– सम्बन्धित अधिवक्ता ।
4– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/एन0आई0सी0/गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव ।